

CAG ने मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना में खामियाँ उजागर कीं

चर्चा में क्यों?

भारत के नयित्तरक और महालेखा परीक्षक ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को चहिनति कया है।

मुख्य बदि:

- सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा वर्ष 2016 में गरीबी उन्मूलन के एक साधन के रूप में पेश कया गया था। इसका उद्देश्यवर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कचचे और जीरण-शीरण घरों में रहने वाले लोगों को बुनयादी सुवधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना था।
 - अंतरमि बजट 2024 में वतित मंत्रालय ने PMAY-G के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतरिकित घरों के नरिमाण की घोषणा की।
- CAG की रपिर्ट में वर्ष 2016-21 से इस योजना के कार्यान्वयन की बात की गई है, जब 26,28,525 घरों को मंजूरी दी गई थी और 24,723 करोड़ रुपए लाभार्थियों को दयि एए थे।
- रपिर्ट में कहा गया है कः
 - स्वीकृत आवासों में से 82.35% पूरण हो चुके हैं।
 - हालाँकि इस योजना में यह अनवार्य है कः वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव वाले परिवारों को बाहर रखा जाए, 10 लेखापरीक्षति ज़लियों में घर की मंजूरी से पहले 2,037 लाभार्थियों के पास दो/तीन/चार पहया वाहन थे।
 - 2,037 अयोग्य लाभार्थियों में से 1,555 को 15.66 करोड़ रुपए की PMAY-G सहायता।
 - 64 मामलों में एक ही लाभार्थी को दो बार आवास स्वीकृत कयि एए। 98 मामलों में, एक घर वास्तविक लाभार्थी को और दूसरा उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत कया गया था, जनिकी योजना के लयि पहचान नहीं की गई थी।
 - लाभार्थियों के डुप्लिकेट की पहचान करने के लयि पोर्टल में अलर्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
 - कुल 18,935 स्वीकृत मामलों में से 8,226 लाभार्थियों ने प्राथमकितता सूची में अधक वंचति लाभार्थियों को हटा दया।
 - रपिर्ट में लाभार्थियों को कशितें देने में देरी भी देखी गई, जसिके कारण घर बनाने में देरी हुई।
 - 90 मामलों में नाबालगों को PMAY-G आवास स्वीकृत कया गया और उनके रशितेदारों को लाभ प्रदान कया गया।
 - आवास सॉफ्ट डेटा की जाँच की गई क्योंकि 1,246 मामलों में लाभार्थियों के नाम का उल्लेख नहीं कया गया था और 950 मामलों में लाभ जारी कया गया था।
 - आवास सॉफ्ट, एक वेब-आधारति लेन-देन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक सेवा वतिरण मंच है, जसिका उपयोग योजना के कार्यान्वयन और नगरिानी में कया जाता है।
 - योजना की रूपरेखा यह नरिधारति करती है कः "वधिया/अववियाहति/अलग हुए व्यक्ती के मामले को छोड़कर घर का आवंटन पत और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से कया जाएगा" का भी उल्लंघन कया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

- इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लयि आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू कया गया था। ज्ञात हो कः पूर्ववर्ती 'इंदरि आवास योजना' (IAY) को 01 अप्रैल, 2016 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनरगतित कया गया था।
- इसमें शामिल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
- जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के नरिमाण और मौजूदा अनुपयोगी कचचे मकानों के उन्नयन मेंगरीबी रेखा (BPL) से नीचे वाले लोगों की पूरण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों में अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति से संबंधति लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, वधिया महलियाँ, रक्षाकरमियों के परजिन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानवृत्त सदस्य, वकिलांग व्यक्ती एवं अल्पसंख्यक शामिल हैं।
- यूनिट सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में तथा उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लयि 90:10 के अनुपात में साझा कया जाता है।

भारत के नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक

- अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है।

- **CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में अनुच्छेद 149-151** (कर्तव्य और शक्तियाँ, संघ व राज्यों के खातों का स्वरूप तथा अंकेक्षण रिपोर्ट), **अनुच्छेद 279** (नविल आय का परिकलन इत्यादी) तथा **तीसरी अनुसूची** (शपथ अथवा प्रतज्ञान) एवं **छठी अनुसूची** (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन) शामिल हैं।
- जनता के धन का संरक्षक और **केंद्र एवं राज्य दोनों** स्तरों पर देश की संपूर्ण **वित्तीय प्रणाली** को नियंत्रित करता है।
- **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा **6 वर्ष** की अवधि या **65 वर्ष की आयु** तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जाता है।
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा संसद के **दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से** पारित प्रस्ताव के आधार पर, या तो **साबितकदाचार या अक्षमता के आधार** पर हटाया जा सकता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cag-flags-faults-in-madhya-pradesh-pm-awas-yojana>

